

to the yield, the factories will not be viable. Maharashtra Government have sent proposals for different zones. There are three zones, Vidharbha, Marathwada and rest of Maharashtra. Will the Government will consider these proposals?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD:

This question does not permit a debate on the entire sugar policy or the zoning policy. These do not arise out of this question. As regards zones, there are 16 zones in the country. When I referred that case to BICD they put it at eight. The entire question for considering the levy price and zones is with them. They have to recommend and after that I will go into it.

*144. [The questioner (Shri Jagdish Jani) was absent for answer vide col. 40 *infra*].

Enactment of model flood law

*145. **SHRI KAILASH PATI MISHRA:** Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) what are the losses accrued due to floods in each of the last three years; and

(b) whether enactment of a model flood law was suggested to States in 1974 if so, what are the names of States where it has been enacted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) On the basis of the information given by State Governments a statement showing losses due to floods in the country during 1981, 1982 and 1983 is enclosed.

(b) The Central Government had circulated to the States in July 1975 a Model Flood Plain Zoning Bill for enactment by the State Legislature. So far only the State of Manipur has enacted the Legislation.

Statement

Flood-losses in the country during 1981, 1982 and 1983

	1981	1982	1983
1 Area affected (in lakh ha.)	57.3	281.1	153.2
2 Damage to crops:—			
(a) Area in lakh ha.	32.2	56.8	76.2
(b) Value in Rs. crores	497.95	589.39	1279.92
3 Damage to houses—			
(a) Nos.	718163	3216365	2290884
(b) Value in Rs. crores	139.49	383.86	306.61
4 Cattle lost Nos.	45588	258218	153086
5 Human Lives lost Nos.	1033	1818	3275
6 Damage to public utilities in Rs. crores	494.86	740.65	873.42
7 Total damage to crops, houses & Public utilities in Rs. crores	1132.31	1713.92	2459.9

श्री कलाश पति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, माडेल बिल 1975 में स्टेट गवर्नमेंट्स को सरकुलेट किया गया था। अभी हम 1984 में चल रहे हैं। अगर इस नौ, दस वर्ष के अंदर माडेल बिल के बारे में किसी राज्य से कोई सूचना नहीं आयी है, तो क्या कहा जाय। इस माडेल बिल के बारे में 8 बिन्दुओं का उल्लेख है और उन को मैं पढ़ कर बता रहा हूँ :—

- (i) preparation of flood control schemes,
- (ii) acquisition of land and property.
- (iii) land use regulations in flood planes;
- (iv) prohibition and removal of obstruction in the river;
- (v) disaster prevention and preparedness;
- (vi) compulsory evacuation of people and property from areas when in danger of floods;
- (vii) requisition of labour at times of emergency; and
- (viii) contribution by beneficiaries.

इतने बिन्दुओं को दे कर माडेल बिल का सरकुलेशन राज्यों को किया गया था और 9 वर्ष के अंतर्गत मंत्री जी ने कहा— लेकिन मेरे पास दस वर्ष की इंफॉर्मेशन है, अगर राज्य सरकारों से कोई सूचना नहीं आयी है तो राज्य बाढ़ से जो तुरंत तरह से प्रभावित है उस के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकारों से निरंतर हम संपर्क कायम रखते हैं और उन्होंने उदाव अवश्य भेजे हैं लेकिन कोई न कोई कारण बता कर यह कहा है कि इस प्रकार के विधेयक वह फिलहाल पास करने की स्थिति में नहीं है। वह इस पर गंभीरता से विचार कर

रहे हैं। हम तो केवल राज्य सरकारों से निवेदन ही कर सकते हैं। इस प्रकार का विधेयक पास होने में जो बाड़ की विभीषिका है उस को हम संभवतः कम कर सकेंगे।

श्री कलाश पति मिश्र : मैंने 8 बिन्दुओं को जानबूझ कर पढ़ कर सुनाया है। यह आठ बिन्दु ऐसे हैं कि यदि केन्द्रीय सरकार ने इन आठ बिन्दुओं को पूरा करने की पहल नहीं की तो राज्य सरकारों की आल की जो आर्थिक स्थिति है उस में बहुत कूट होने वाला नहीं है।

यह अनुभव करने हुए राज्यों के लिए ऐसा करना संभव होगा? केन्द्र सरकार ने केवल पत्राचार से मुझाव मांगने और मुझाव देने के अतिरिक्त कोई कदम उठाया हो तो मंत्री महोदय उसमें अवगत करायें?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन, जैसा सदन को विदित है और आपको भी विदित है, बाढ़ का कार्य हमारे संविधान में राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में है और हम तो उनको मुझाव दे सकते हैं, तकनीकी सहायता दे सकते हैं, समझ आने पर कुछ आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं? लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तक राज्य सरकारें इस विषय को गंभीरता में न लेंगी, उनको प्राथमिकता न देंगी तब तक यह स्थिति बनी रहेगी और भिदाय हम उनकी समय समय पर निवेदन करें, उसके अलावा कोई विकल्प मैं समझता हूँ, हमारे पास नहीं है।

श्री कलाश पति मिश्र : श्रीमन्, मेरा हमरा प्रश्न यह है कि...

श्री सभापति : अब आपही पूछने रहेंगे, बाकी जो पूछ रहा है उनको भी मौका मिलेगा कि नहीं?

श्री कैलाश पति मिश्र : एक मगल और पूछने दिया जाए। अर्थात् महादेव, बाढ़ राज्य सरकारों की सीमाओं के अन्तर्गत आता है, यह कहना पर्याप्त नहीं है। बाढ़ में लोग मरते हैं, बाढ़ में जमीन कटती है बाढ़ में मवेशी बह जाते हैं, बाढ़ से करोड़ों लोगों की क्षति होती है। यह सब क्षति राज्य सरकारों के सामने जुटा हुई है। केवल अगर आपका समिति होना के कारण राज्य सरकारें पहले नहीं कर पाती तो केवल इतना सिद्धान्त को समाधान समझकर केन्द्र सरकार बैठेगी या अगले क लिए भी कोई कदम उठाएगी?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान, मैं तो केवल वही बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले निर्देश दिया। हमारी संवैधानिक सीमाएं तथा क्षेत्र हैं। अनंत ज्यादा बढ़ते हैं तो विपक्ष के माननायक सदस्य हमको बुरा भरो वात कहते हैं। हम तो चाहते हैं कि साविधान के अंतर्गत में राज्य सरकारों का काम करना चाहिए क्योंकि इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था है।

श्री सभापति : अगर वह लिख दिया जाए, जो तीन लिखें हैं तो पता चले जाएगा कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। आपका कहा हुआ बिलकुल ठीक है।

SHRI M. M. JACOB: Sir, there is a particular type of flood that occurs in our State, especially from the sea. During the time of this type of floods, the sea waters enter the land and, in the State of Kerala, the sea waters have washed away the shores to a considerable extent and this has affected almost all the districts in Kerala in coastal area and 72 lives were lost. I would like to know whether the Government is aware of the representation made by the State Government regarding this and will this

be included in any model law that may be enacted or in any other law? After all, it is the boundary of the State and that has to be considered as a boundary and has to be protected.

MR. CHAIRMAN: Yes, it is a very serious matter.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, sea erosion is a problem in some of our coastal States, particularly in Kerala and we are very much conscious of it and we have been providing special loan assistance to Kerala for anti-sea-erosion works and, upto March 1984, the Central Government has given Rs. 32.46 crores to Kerala for anti-sea-erosion works and the outlay this year for this is Rs. 3.5 crores.

MR. CHAIRMAN: There is monazite sand available there and you know it is one of the most valuable assets which you can have which is being washed away.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: That is one of the reasons why we do this.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, मंत्री जी ने अपने को सीमाओं में सीमित करके इस प्रश्न को राजस्व विभाग को ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।...

श्री सभापति : नहीं, यह गलत है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं मंत्री जी का ध्यान उस क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी सूचना उन्होंने ही दी है कि बाढ़ का क्षेत्र 57 से 281 लाख पर चला गया। क्षति का क्षेत्र 497 से 13-13 सौ करोड़ तक चला गया। मालों की संख्या एक हजार से 32 सौ पर चली गई। टोटेलिटी में सालाना 1100 से साढ़े 2400 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

यह किसी एक स्टेट की बात नहीं है। हर साल बाढ़ से बहुत बड़ी क्षति होती है और यह हर साल दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी बढ़ती जा रही है। चाहे पशुओं की दर हो, लोगों की मृत्यु दर हो, मकानों के नुकसान की दर हो, जितना भी नुकसान होता है उसका हिमाव लगाया जाय तो वह दिन प्रति दिन मल्टीप्लाई करता जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि कुछ नदियां तो विदहन स्टेट हैं, लेकिन कुछ बड़ी नदियां ऐसी हैं, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं, वे कई राज्यों में से होकर जाती हैं। जैसे गंगा नदी है, उसकी बाढ़ से कई राज्य प्रभावित होते हैं। अगर हम गंगा नदी की बाढ़ का रूढ़ विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि 21 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं। जितना भी बाढ़ से नुकसान होता है उसका लगभग दो तिहाई हिस्सा कटाव से और फसलों की बर्बादी से होता है। इसको मटेनजर रखते हुए सरकार ने एक मोडन बाढ़ नियंत्रण स्कीम की योजना बनाई। अभी हमारे मित्र श्री कौशाणपति जी ने यह आग्रह किया कि जो आठ बिन्दु आपने दिये हैं, अगर उनके फाइनैशियल आसपेक्ट को देखा जाय तो पता चलेगा कि वे किसी राज्य की आर्थिक सीमा से बाहर हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस आर्थिक पहलू पर भी विचार किया है? क्या आप राज्यों से निवेदन करेंगे कि जितना आपकी सीमा में आ सकता है उतना आप कीजिये और जो आपकी सीमा से परे है, सप्तम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार का सिचार्ज विभाग उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेगा? यह जो आपकी माडल स्कीम है उसका बड़े बड़े राज्यों पर अधिक खर्च पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आसाम हो, बंगाल हो, ये सभी राज्य तभी उसको अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। अन्यथा आप

माडल स्कीम का नाम देकर अपना संरक्षण तो चाहते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं, फसलें बर्बाद होती हैं, उनका संरक्षण और गारन्टी नहीं ही पाती है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियां, करीब करीब सारी बड़ी नदियां, एक राज्य, दो राज्यों और तीन राज्यों में से होकर जाती हैं और उसके लिए जब तक सभी राज्य मिलकर आपस में इनके बारे में कोई संगठित विकास नहीं करेंगे, सुनियोजित विकास नहीं करेंगे तब तक यह बाढ़ की समस्या रहेगी। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड का निर्माण किया है और गंगा फ्लड कंट्रोल कमिशन का निर्माण किया है ताकि जो संबंधित राज्य सरकार है वे आपस में बैठकर एक तरह की व्यवस्थित योजना बना सके और यह विचार कर सकें कि बाढ़ की विमोषिका को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन सारा खर्च केन्द्रीय सरकार दे, मैं समझता हूँ कि यह व्यवहारिक नहीं है और संवैधानिक भी नहीं है।

श्री सभापति : वे खर्च की बात नहीं कह रहे हैं। आप उनको हिदायत काजिये कि वे इस बारे में जल्दी करें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने यह कहा कि जो आठ बिन्दु दिये गये हैं उनको आप इक्जामिन करे और यह देखें कि क्या ये चार्ज उनका फाइनैशियल कॉम्पेटिबल के भीतर है? अगर ये चार्ज उनकी फाइनैशियल के भीतर नहीं है तो क्या आप उनको पूरा करेंगे?

श्री राम निवास मिर्धा : जिस प्रकार से राज्यों के वित्तीय साधन सीमित हैं उसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार के भी वित्तीय साधन सीमित हैं। यह मामला

संविधान का और आर्थिक व्यवस्था के प्रारूप का मामला है। हमारी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की होगी, राज्य सरकारें क्या काम करेंगी, केन्द्रीय सरकार का क्या दायित्व है और उस दायित्व के मुताबिक केन्द्रीय सरकार अपना फर्ज पूरा कर रही है।

श्री राम भगत पासवान : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि बाढ़ की विभीषिका के निवारण के लिए वे राज्यों से सम्पर्क स्थापित करते हैं। आप प्रति दिन पेपरों में पढ़ते होंगे कि बिहार राज्य बाढ़ की विभीषिका से बिलकुल ग्रस्त है। सिर्फ देहातों में ही नहीं, शहरों में भी पानी भरा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस विभीषिका के निवारण के लिए सरकार से आपने क्या सम्पर्क किया है, उनसे क्या बातें हुई हैं जिससे इस विभीषिका से उत्तर बिहार जो बाढ़ से पीड़ित है, उसका निवारण हो सके? बाढ़ की निवारण के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कमलाबालान है, गंडक प्रोजेक्ट है, वेस्टर्न कोसी कैनाल है, इनके बारे में आप ने क्या कार्यवाही की है? अभी भी बाढ़ में दो-चार बांध टूट गये हैं, जैसे कि महानन्दा नदी पर टूट गया है, गंडक पर पिपरिया और कमलाबालान बांध अधूरा है। कमलाबालान बांध जो है उसके एक्सटेंशन का जो काम है वह अधूरा पड़ा हुआ है। इस बांध के टूट जाने से हर साल चार जिले प्रभावित होते हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर ये चार जिले बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। आपने कहा है कि एक्सटेंशन के लिये, बढ़ाने के लिये आप सहायता देते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस बांध

को बढ़ाने के लिये आपने क्या सहायता दी है? यह आप कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति काफी गम्भीर हो जाती है कुछ क्षेत्रों में और उसके लिये राज्य सरकार से हम निरन्तर सम्पर्क में रहते हैं और उनको जिस प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता होती है हम उनको देते रहे हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि 1951 से 1980 तक बाढ़ रोकने के काम में 976 करोड़ रुपये खर्च हुए। छठी योजना में सबसे ज्यादा यानी एक हजार 45 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इससे पता लगता है कि भारत सरकार और योजना आयोग इस बाढ़ की समस्या के प्रति कितने जागरूक हैं। यह सही है कि जो साधन हैं वे सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी मुनासिब होता है उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं।

श्री राम भगत पासवान : कमलाबालान बांध की बात मैंने पूछी है कि उसको बढ़ाने की योजना जो है उसके लिये आपने कुछ दिया है या नहीं? यह जानकारी चाहता हूँ।

श्री राम निवास मिर्धा : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सभापति : वह चाह रहे हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए और आप इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।